भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

197

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर निग - 2321 - I - 16

1– तुलसा पुत्री श्री रामकिशन
2– रामनाथी पुत्री श्री रामकिशन
3– वेसकी पुत्री श्री रामकिशन
4– श्याम पुत्र श्री देवीराम
5– बृजेश पुत्र श्री देवीराम
6– दिनेश पुत्र श्री देवीराम
7– रूमाली पुत्री श्री देवीराम
8– रंजनी पुत्री श्री देवीराम
9– सुनीता पुत्री श्री देवीराम

निवासीगण – श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.) ...... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर (म.प्र.) ...... अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 18.7.16 को प्रस्तुत

18-7-16

रीडर ऑफ राजस्व मण्डल म.प्र.

18/7/16

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 391/2015–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवदेकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 1782/6/क रकवा 1.463 है0 जो राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला में तुलसा रामनाथी वेसकी पुत्रियॉ रामकिशन का हिस्सा 3/4 भाग एवं श्याम, बृजेश, दिनेश पुत्रगण देवीराम रूमाली रंजनी सुनीता पुत्रियॉ देवीराम का हिस्सा 1/4 दर्ज है।
2. यहकि, उपरोक्त भूमि मौजा श्योपुर में स्थित होने से आवेदकगण उपयुक्त खेती नहीं कर पाते है कोई फसल न होने के कारण उक्त भूमि पर खेती करना घाटे का सौदा हो रहा है, जिसके कारण परिवार चलाना कठिन हो रहा है। ऐसी स्थिति में जीवन यापन के लिये उक्त भूमि को बेचकर अन्य स्थान पर कृषि भूमि लेना चाहते है जिससे दोनो परिवारों का पालन पोषण हो सके। इस हेतु विक्रय अनुमति हेतु आवेदन पत्र आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 23.06.2016 को निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश के व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारो पर यह पुनरीक्षण न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरीक्षण के आधार :

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2321/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28.7.16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 391/2015–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आधार प्रस्तुत किया कि कस्बा श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1782/6/क रकवा 1.463 है0 के वह भूमि स्वामी है। और उपरोक्त भूमि को वह विक्रय करना चाहते है क्योंकि उक्त भूमि पर फसल में कोई लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण विधिवत् जॉच कर कलेक्टर महोदय को विक्रय की अनुमति दिये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिवत् जॉच किये बिना ही अपने पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 से आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया। कि नियमानुसार एक अनुसूचित	

जाति की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति को विक्रय नहीं की जा सकती है ऐसी परिस्थतियों में आवेदकगण को मौजा श्योपुर की प्रश्नाधीन भूमि विक्रय की अनुमति न तो इस कार्यालय से दी जा सकती है और न ही विक्रय की अनुमति बावत् जॉच कर प्रकरण कलेक्टर श्योपुर को भेजा जाना उचित नही समझता हूॅ। इस आधार पर विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त किया है, इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया है कि आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया था कि उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। और भूमि कृषि उपयोगी नहीं है ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि से लाभ के स्थान पर हानि हो रही है, इसलिये वह उक्त भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर अन्य कृषि भूमि क्रय कर कृषि कार्य करेगे जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सकेगा इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। उक्त आवेदन पत्र पर विधिवत् जॉच किये बिना ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जबकि अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन पत्र निरस्त करने की अधिकारिता ही नहीं थी अतः आदेश अधिकारिता रहित होने से निरस्त किया जाये एवं आवेदकगण को

उपरोक्त भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

5– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को मे बताया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिवत् जॉच कर जो आदेश पारित किया है वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखा जाये तथा वर्तमान निगरानी निरस्त की जाये।

6– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर को आवेदन पत्र निरस्त करने की अधिकारिता थी अथवा नहीं। संहिता की धारा 165 (6) में स्पष्ट प्रावधान है कि भूमि विक्रय कि अनुमति दिये जाने के अधिकारिता केवल कलेक्टर न्यायालय को है और उन्हे प्रकरण में सद्भावना पूर्वक विचार कर आदेश पारित करना होता है। चूकि इस प्रकरण में आदेश अनुविभागीय अधिकारी पारित किया गया है, जो अधिकारिता रहित है ऐसी स्थिति में अधिकारिता रहित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में आवेदकगण द्वारा भूमि विक्रय का पर्याप्त कारण बताया गया है, जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

7– आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि को विक्रय कर कृषि उपयोगी भूमि क्रय किये जाने का अनुबंध किया है ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय अनुमति आवेदन पत्र सद्भावना पूर्वक विचार किया जाना चाहिये था। प्रकरण में देखना है कि आवेदकगण वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु

पात्र है अथवा नहीं :-

1- आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

2- प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

3- आवेदक अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वंय द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

4- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड

लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर श्योपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

8– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 391/2015–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को मौजा श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1782/6/क रकवा 1.463 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य